समक्ष टेक चंद, जे.

मोहन सिंह- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- उत्तरदाता

सिविल रिट संख्या 2146/1967

29 फ़रवरी 1968

पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II - नियम 5.32, नोट 2 (सी) (ii) - 55 वर्ष की आयु में एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के लिए तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता वाला नियम - 26 दिनों का नोटिस - ऐसी अवधि के लिए देने, वेतन और भत्ते देने की पेशकश जो तीन महीने पूरे करने में कम पड़ता है–सूचना–क्या वैध है।

निर्णय दिया गया कि यदि वैधानिक नियमों की आवश्यकता है, तो किसी सरकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद सेवानिवृत्त करने के लिए, उसे कम से कम तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा, और इसमें कोई वैकल्पिक प्रावधान नहीं है। नोटिस के बदले तीन माह का वेतन दिया जा सकता है, जो नोटिस तीन माह का समय नहीं देता उसे इस आधार पर नहीं बचाया जा सकता कि नोटिस देने की आवश्यकता वाले सिद्धांत के तहत झूठ बोलने की मंशा है कि सरकारी कर्मचारी को यदि तीन माह का वेतन दिया जाए उस अवधि सहित जब वह सरकार की सेवा नहीं करता है, उसकी सेवा कानूनी रूप से समाप्त की जा सकती है।वैधानिक नियम की भाषा स्पष्ट है और इसमें गोलमाल की बात स्वीकार नहीं की गई है और यह तीन महीने के वेतन के भुगतान को अपर्याप्त नोटिस देने या कुछ भी नहीं देने के बराबर नहीं है। जब तक नोटिस कानून के निर्देश या अनुमति के अनुसार नहीं दिया जाता है, पार्टी ऐसा करेगी। जिसे यह दिया गया है वह इसे पहचानने या उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है और न ही, वास्तव में, यह एक नोटिस है। जो नोटिस को जीवन और दक्षता देता है वह कानूनी मंजूरी है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, प्रार्थना करते हुए कि प्रतिवादी संख्या 3 के विवादित आदेश अनुबंध ए2 दिनांक 3 जून 1967 और अनुबंध A3 दिनांक 19 जून 1967 जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया है, को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी, परमादेश या किसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए।

याचिकाकर्ता के वकील राजिंदर सच्चर।

आरएन मित्तल के साथ सीडी दीवान, उप महाधिवक्ता, हरियाणा,

प्रतिवादियों की ओर से एडवोकेट आरएन नरूला, एडवोकेट जनरल पंजाब की ओर से एडवोकेट

निर्णय

टेक चंद, जे.

1. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक रिट याचिका है, जिसमें मुख्य वन संरक्षक (प्रतिवादी संख्या 3), दिनांक 3 जून 1967 (अनुलग्नक ए-2) और 19 तारीख के आदेशों को रद्द करने के लिए एक उचित रिट जारी करने की मांग की गई है। जून 1967 का (अनुलग्नक ए-3)। याचिकाकर्ता जिसका जन्म 15 जुलाई 1912 को हुआ था, वह 1933 में पंजाब राज्य के वन विभाग में शामिल हुआ था और उसे 15 जुलाई 1967 को 55 वर्ष की आयु तक पहुंचना था। पंजाब सिविल के नियम 3.26 (ए) के अनुसार सेवा नियमावली, खण्ड I, भाग I में प्रावधान है कि:-
"चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी के अलावा किसी भी सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख वह तारीख है जिस दिन वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है।"
2. मूल रूप से, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष थी, लेकिन 28 मार्च, 1963 से इसे बढ़ाकर 58 वर्ष कर दिया गया। प्रासंगिक नियमों को अधिसूचना संख्या 12086(5)-FRII-63/12002, दिनांक 11 नवंबर 1963 द्वारा संशोधित किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्यपाल द्वारा जारी किया गया।

   पेंशन और भविष्य निधि से संबंधित पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 5.32 के तहत नोट 2 (सी) (ii) प्रदान करता है: -
   "2(सी) चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारी को भी सेवानिवृत्त पेंशन दी जाती है: -
   (i) जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद, कम से कम 3 महीने का नोटिस देकर सेवानिवृत्त किया जाता है;

(ii) जो नियुक्ति प्राधिकारी को सेवानिवृत्त होने के अपने इरादे की तीन महीने की सूचना देकर 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद सेवानिवृत्त होता है।

3. याचिकाकर्ता को 3 जून 1967 का एक कार्यालय आदेश प्राप्त हुआ (अनुलग्नक ए-2), जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -
"श्री मोहन सिंह, डिप्टी रेंजर, जिनकी आयु 15 जुलाई, 1967 को 55 वर्ष होनी है, को नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन पर 15 जुलाई 1967 (पूर्वाह्न) से सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

4. याचिकाकर्ता को मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा की ओर से दिनांक 19 जून 1967 को एक और पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है: -
"पंजाब सरकार के पत्र संख्या 5410-3जीएस/11926, दिनांक 28 मार्च, 1963, और पंजाब सीएसआर, खंड II के नियम 5.32 में निहित निर्देशों के अनुसार, आपको इस आशय का तीन महीने का नोटिस दिया जाता है कि आपकी आयु पूरी होने पर 55 वर्ष की उम्र में, 15 जुलाई, 1967 (पूर्वाह्न) को आपको नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन पर सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, और उस तिथि के बाद विभाग द्वारा आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी और यदि नोटिस कम हो जाता है पूरे तीन महीनों में से, आपको प्रभागीय वन अधिकारी, करनाल द्वारा उस अवधि के लिए वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा जो पूरे तीन महीने कम हो।

5. याचिकाकर्ता की रिट जारी करने की प्रार्थना इस दलील पर आधारित है कि संबंधित नियम के तहत अपेक्षित कोई नोटिस उसे नहीं दिया गया है और इसलिए, उसे सेवानिवृत्त नहीं माना जाना चाहिए। यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिका में, प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 3 (अनुलग्नक ए-2 और ए-3) के आदेशों को रद्द करने के लिए है। अनुलग्नक A-3 के आदेश को उसी तिथि के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, अनुलग्नक R1 को शामिल करें। यह R1 है जिसे पुन: प्रस्तुत किया गया है और विचाराधीन रद्दीकरण का प्रश्न अनुलग्नक A-2 और R1 के संबंध में होगा।

6. हरियाणा राज्य की ओर से एक लिखित बयान दायर किया गया है। पंजाब राज्य को भी पक्षकार बनाया गया था, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता हरियाणा सरकार के अधीन कार्यरत था, इसलिए उसे पंजाब राज्य के खिलाफ कोई राहत नहीं दी जा सकती, जिसका कोई सरोकार नहीं है। रिट याचिका के साथ। पार्टियों का तर्क ऊपर दिए गए नोट 2(सी)(ii) की व्याख्या और नोटिस

की पर्याप्तता (अनुलग्नक आर-1) पर आधारित है। प्रासंगिक नियम के अनुसार "कम से कम तीन महीने का नोटिस" देना आवश्यक है। नोटिस के बदले में तीन महीने के वेतन के भुगतान की निविदा या पेशकश के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। नोटिस दिनांक 19 जून, 1967 है और इसमें उल्लेख किया गया है कि आपको इसके द्वारा सेवा दी गई है (अनुलग्नक आर 1) नियम की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है। तीन महीने के नोटिस के साथ कि 15 जुलाई 1967 (पूर्वाह्न) को आपको सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। यह भाषा अपने आप में विरोधाभासी है। यह तीन महीने का नोटिस नहीं बल्कि केवल 26 दिन का नोटिस है। नोटिस स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण है और इस प्रकार इसे कानून के अनुसार नोटिस नहीं माना जा सकता है। केवल इसी आधार पर याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है। हालाँकि, निम्नलिखित के आधार पर नोटिस को बचाने का प्रयास किया गया है: -

"यदि नोटिस पूरे तीन महीने से कम हो जाता है, तो आपको प्रभागीय वन अधिकारी, करनाल द्वारा उस अवधि के लिए वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा जो तीन महीने पूरा करने से कम हो।"

7. नोटिस स्पष्ट रूप से 26 दिनों के लिए था और यह कहने का कोई मतलब नहीं था कि अगर यह तीन महीने से कम हो जाता है। राज्य की ओर से मेरे समक्ष यह प्रचार किया गया है कि उपरोक्त भाषा को नोटिस में कमी को कवर करना चाहिए। वैधानिक नियमों की आवश्यकता यह है कि कम से कम तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा। ऐसा कोई वैकल्पिक प्रावधान नहीं है कि नोटिस के बदले में तीन महीने का वेतन दिया जा सके। नोटिस को इस तर्क के आधार पर नहीं बचाया जा सकता है कि नोटिस देने की आवश्यकता के सिद्धांत के पीछे का उद्देश्य यह है कि यदि सरकारी कर्मचारी को तीन महीने का वेतन दिया जाता है, जिसमें वह अवधि भी शामिल है जब वह सरकार की सेवा नहीं करता है, तो उसकी सेवाएं कानूनी रूप से रद्द की जा सकती हैं। इस न्यायालय को वैधानिक नियम की भाषा को देखना होगा जो स्पष्ट हो, और किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को स्वीकार नहीं करता है, और तीन महीने के वेतन के भुगतान को अपर्याप्त नोटिस देने या कुछ भी नहीं देने के बराबर नहीं करता है।
8. श्री सी.डी. दीवान ने **भारत संघ बनाम लछमी नारायण मामले 1967 S.L.R. 286** में डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें केंद्रीय सिविल

सेवा (अस्थायी सेवा) नियमों के नियम 5 पर विचार किया गया था। बेंच के समक्ष तर्क यह था कि नियम 5 में एक महीने का नोटिस या उसके बदले वेतन देने पर विचार किया गया था और चूंकि वर्तमान मामले में वादी को एक महीने के बजाय 15 दिनों के लिए उसके वेतन और भत्ते की राशि के बराबर राशि का भुगतान किया गया था जो आदेश नियम के अनुरूप नहीं था । यह विवाद खंडपीठ के समक्ष इस कारण से मान्य नहीं हुआ क्योंकि वादी को एक महीने के वेतन के बजाय 15 दिन का वेतन दिया गया था। यह देखा गया, “मेरे विचार से, तीन महीने के नोटिस की शर्त इतनी महत्वपूर्ण प्रकृति की नहीं है कि इसका पालन न करने पर सेवानिवृत्ति के आदेश को अमान्य कर दिया जाए। तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता वाले नियम के पीछे की भावना स्पष्ट रूप से यह है कि सरकारी कर्मचारी को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ताकि वह उस अवधि के दौरान कहीं और रोजगार तलाशने की व्यवस्था कर सके, और यदि तत्काल सेवानिवृत्ति पर विचार किया जाता है, तो उसे तीन महीने का वेतन दिया जाना चाहिए। 'नोटिस के बदले भुगतान करें" नियम 5 की भाषा पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 5.32 से बिल्कुल अलग है। नियम 5 प्रदान करता है:-

“5. (ए) एक अस्थायी सरकारी सेवक की सेवा, जो अर्ध-स्थायी सेवा में नहीं है, किसी भी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दिए गए लिखित नोटिस द्वारा समाप्त की जा सकती है।

(बी) ऐसे नोटिस की अवधि एक महीने होगी, जब तक कि सरकार और सरकारी कर्मचारी द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए।

बशर्ते कि ऐसे किसी भी सरकारी कर्मचारी की सेवा को नोटिस की अवधि के लिए उसके वेतन और भत्ते की राशि के बराबर राशि का भुगतान करके या उस अवधि के लिए भत्ते के बराबर राशि का भुगतान करके तुरंत समाप्त किया जा सकता है। एक महीने से कम या किसी सहमत लंबी अवधि के लिए।

9. उपरोक्त परंतुक में जो निहित है उसका समतुल्य इस मामले में विचाराधीन नियम में नहीं पाया जा सकता है, जिसकी भाषा स्पष्ट है। डिवीजन बेंच का निर्णय उस नियम की भाषा के रूप में भिन्न है जिसका अर्थ लगाया जा रहा था, असहमति थी और अधिक लचीली व्याख्या पर विचार किया गया।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री राजिंदर सच्चर ने अपने तर्क के समर्थन में **चमन लाल कपूर, पीईएस, क्लास I बनाम पंजाब राज्य 1967 S.L.R. 924** का हवाला दिया है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें याचिकाकर्ता को पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 5.32 के अनुसार नोटिस नहीं मिला था और इसके अलावा याचिकाकर्ता को देय तीन महीने के वेतन और भत्ते का भुगतान भी नहीं किया गया था। मैंने **खजान चंद धमीजा बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामले 1964 P.L.R. 818**. में पी.सी. पंडित, जे. द्वारा व्यक्त किए गए विचार का पालन किया है कि बिना सूचना के समय से पहले सेवानिवृत्ति वैध नहीं है। पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 5.32 की भाषा जो इस मामले में संबंधित नियम भी है, भौतिक विवरण में उस नियम की भाषा से भिन्न है जिसे समझने के लिए डिवीजन बेंच को बुलाया गया था। कानून द्वारा मान्यता प्राप्त और स्वीकृत तरीके और तरीके से दिए गए नोटिस की सेवा इसकी एक अनिवार्य आवश्यकता है। जब तक नोटिस कानून के निर्देश या अनुमति के अनुसार नहीं दिया जाता है, जिस पक्ष को यह दिया जाता है, वह इसे पहचानने या उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है। वास्तव में, यह कोई नोटिस नहीं है। जो चीज़ नोटिस को जीवन और दक्षता प्रदान करती है वह है कानूनी मंजूरी। इस मामले में लगाए गए नोटिस के पास अपेक्षित कानूनी मंजूरी नहीं थी।

11. मुझे संतुष्टि है कि वैधानिक नियम की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है। न तो 3 जून 1967 का आदेश (अनुलग्नक ए2), और न ही 19 जून 1967 का संचार (अनुलग्नक आर-1), वैधानिक नियम के अनुसार वैध नोटिस देने की आवश्यकता को पूरा करता है।इन परिस्थितियों में, मैं याचिकाकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त करने के आदेश को रद्द करता हूं। हालाँकि, यह उचित प्राधिकारी के लिए खुला है कि वह नियम की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए नोटिस देकर याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त कर दे। रिट की याचिका की अनुमति है और उत्तरदाताओं नंबर 1 और 3, हरियाणा राज्य और को परमादेश जारी किया जाएगा। क्रमशः मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा। प्रतिवादी नंबर 2, पंजाब राज्य, एक अनावश्यक पक्ष है और याचिकाकर्ता द्वारा उस राज्य के खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी गई है या दी जा सकती है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशीष कुमार मंडल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
फिरोज़पुर झिरका, नूंह